राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रिजवान खॉन पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी रिजवान की उपस्थिति हेतु नियत है। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पूर्व नियत दिनांक : 07/10/2017 को आरोपी रिजवान की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ वापस प्राप्त था कि ''आरोपी को ग्राम गुरसाई गंज, थाना :— गुरसाई कन्नौज में उसके निवास स्थान पर तलाश किया, नहीं मिला, घर वालों ने बताया कि वह घर नहीं आता और भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है''।

पूर्व नियत तिथि पर ही इस वावत् वारंट निष्पादनकर्ता एवं फरारी पंचनामा लेखबद्ध करने वाले थाना मालनपुर के प्रधान आरक्षक प्रहलाद शर्मा सी.डब्ल्यू.01 की फरारी साक्ष्य अंकित की गई।

गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों एवं रिजवान की फरारी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी रिजवान फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। प्रधान आरक्षक प्रहलाद शर्मा द्वारा उसके फरारी साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि ''उक्त आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।''

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आरोपी रिजवान अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी रिजवान की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी रिजवान की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी रिजवान के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये। जे.एम.एफ.सी.,गोहद